

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous **2nd** Bail Application No. 13796/2025

Rajendra Kumar Raiger S/o Bheru Lal Raiger, Aged About 35 Years, R/o Opposite Ramdev Temple, Village Kotri, Police Station Pur, District Bhilwara, Rajasthan. (Presently Accused Is Confined In Central Jail, Jaipur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mohammed Shoib Mirza
For Respondent(s) : Mr. Amit Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

12/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त **राजेन्द्र कुमार** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2024 को गुणावगुण पर निरस्त कर, योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त को इस आशय की स्वतंत्रता दी गई थी कि यदि छह माह में प्रकरण के विचारण में कोई प्रगति नहीं होती है तो वे पुनः जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

तत्पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा **483** के तहत, पुलिस थाना **साइबर काइम, एस0ओ0जी0** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**07/2023**, अपराध अंतर्गत धारा—66सी एवं 66डी आई0 टी एक्ट एवं धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 120बी भारतीय दंड संहिता में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **11.08.2025** के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.05.2024 से अभिरक्षा में है। उनका यह भी निवेदन है कि

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन में न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया था कि यदि छह माह में प्रकरण के विचारण में कोई प्रगति नहीं होती है, तो वे पुनः जमानत आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रथम जमानत आवेदन निरस्त होने के पश्चात् विचारण के दौरान अभी तक कोई भी बयान नहीं हुआ है। प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

योग्य लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा रखे गए तर्कों, वितर्कों पर मनन किया। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.05.2024 से अभिरक्षा में है। प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है लम्बे समय से प्रकरण के विचारण में कोई प्रगति नहीं हुई है। अतः दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा रखे गये तर्कों, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय एवं अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (**अक्षरे पचास हजार रुपये**) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000—25,000/—रुपए (**अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये**) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी **राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री भैरूलाल रैगर** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J